इरिसेट, सिकंदराबाद में कार्यरत अधिकारियों को छोड़कर सिकंदराबाद क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों को रेलवे क्वार्टर आबंटित करने की नीति

******

आबंटन प्राधिकारी

वरिष्ठ उप महाप्रबंधक सभी प्रकार के क्वार्टरों को आबंटित करने के प्राधिकारी हैं, ‘ बिन बारी ’ या नीति विचलन में विचार किए गए मामलों को छोडकर, जिनका निर्णय महाप्रबंधक प्रत्येक मामले की योग्यता के आधार पर करते हैं.

किस मामले में आबंटन के लिए विचार किया जाता है

सिकंदराबाद क्षेत्र में ऑडिट, आरई और आरपीएसएफ के अधिकारियों सहित सिकंदराबाद में कार्य करने के लिए तैनात अधिकारियों को, इरिसेट में कार्यरत अधिकारियों को छोड़कर, राजपत्रित पूल से रेलवे क्वार्टर आबंटित करने पर विचार किया जाता है.

आबंटन के लिए पंजीकरण

रेलवे क्वार्टर के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र निर्धारित फार्मेट में वरिष्ठ उप महाप्रबंधक या महाप्रबंधक के सहायक सचिव (गोपनीय) को प्रस्तुत किया जाए. सिकंदराबाद में स्थानांतरण पर जाइन करने वाले अधिकारी सिकंदराबाद में पदभार संभालने के बाद ही पंजीकरण के लिए आवेदन करेंगे.

सिकंदराबाद में कार्यरत समूह 'सी' के कर्मचारी, ग्रुप 'बी' सेवा में पदोन्नति पर सिकंदराबाद में उनकी तैनाती होने पर राजपत्रित पद का कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत बाद राजपत्रित पूल से क्वार्टर आबंटन के लिए पंजीकरण करेंगे और आबंटन होने पर उनके कब्जे के गैर-राजपत्रित पूल के रेलवे क्वार्टर को खाली करेंगे.

पात्रता- क्वार्टरों का प्रकार

अधिकारियों को विभिन्न प्रकार के क्वार्टरों की पात्रता रेलवे बोर्ड की संसूचना आरबी एल एंड डए सं 02/2011 (मुकाधि /सिकंदराबाद का क्रमिक परिपत्र संख्या 13/2011) के निर्देशों के अनुसार है.

ग्रेड पे	किस प्रकार के आवास लिए पात्र
6600/- से कम ग्रेड पे वाले अधिकारी	टाइप -IV
6600/- ग्रेड पे वाले अधिकारी	टाइप -IV स्पेशल
6600/- से अधिक ग्रेड पे वाले अधिकारी	टाइप V

वरिष्ठ और कनिष्ठ वेतनमान वाले अधिकारियों को टाइप- V क्वार्टर आबंटित किए जाएंगे, बशर्ते कि क्वार्टर पिछले 6 महीने से अधिक समय के लिए खाली है और उस समय वरिष्ठ ग्रेड /कनिष्ठ ग्रेड अधिकारियों ने कोई मांग नहीं की है.

स्थान / क्षेत्र

विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध राजपत्रित पूल के रेलवे क्वार्टरों का विवरण नीचे दिया गया है:

पूल	पूल में शामिल क्षेत्र / कालोनियां	पर्यवेक्षकीय अधिकारी			
		इंजीनियरी		विद्युत	
		पर्यवेक्षक	फोन नं.	पर्यवेक्षक	फोन नं.
सिकंदराबाद क्षेत्र	रेल निलयम कॉलोनी	वसेइंजी/प/आरएन	86023	सेइंजी/वि/आरएन	86014
	लैंसर कॉलोनी	वसेइंजी/प/जीओसी	86022	सेइंजी/वि/चिलकलगुडा	85189
	लैंसर लाइन	वसेइंजी/प/जीओसी	86022	सेइंजी/वि/चिलकलगुडा	85189
	ओसीओ कंपाउंड (अधिकारी विश्राम गृह के पीछे)	वसेइंजी/प/जीओसी	86022	सेइंजी/वि/चिलकलगुडा	85189
लालागुडा	लालागुडा	वसेइंजी/प/द.लालागुडा	89465	सेइंजी/वि/ द.लालागुडा	89441
भोईगुडा	भोईगुडा	वसेइंजी/प/चिलकलगुडा	86021	सेइंजी/वि/चिलकलगुडा	85189
काचीगुडा	काचीगुडा	वसेइंजी/प/ काचीगुडा	84426	सेइंजी/वि/ काचीगुडा	84433

पानी की आपूर्ति संबंधी समस्याओं सहित रखरखाव संबंधी शिकायतों को केंद्रीय शिकायत सेल, हैदराबाद मंडल में फोन नंबर 88888 पर पंजीकृत किया जाए.

पूल आवास

सिकंदराबाद क्षेत्र में निम्नलिखित रेलवे क्वार्टरों को विशिष्ट पदधारी/ पदधारियों को आबंटति करने के लिए चिह्नित

किया गया है.

निम्नलिखित पदधारक को आबंटन हेतु चिह्नित	**बंगला नंबर और क्षेत्र**
महाप्रबंधक	लैंसर लाइन में स्थित रेल हाउस (बंगला नंबर 99)
मंडल रेल प्रबंधक/सिकंदराबाद	दक्षिण लालागुडा में स्थित बंगला नंबर 01
मंडल रेल प्रबंधक/हैदराबाद	दक्षिण लालागुडा में स्थित बंगला नंबर 99/1
रेल संरक्षा आयुक्त, दक्षिण मध्य सर्कल, सिकंदराबाद	दक्षिण लालागुडा में स्थित बंगला नंबर 302
* स्वास्थ्य यूनिट/काचीगुडा में तैनात डॉक्टर	काचीगुडा में स्थित क्वार्टर नं. 1-ए (IV/1) काचीगुडा में स्थित क्वार्टर नं. 1-बी (IV/2)

* काचीगुडा में तैनात डॉक्टरों से मांग प्राप्त न होने पर अन्य इच्छुक अधिकारियों को आबंटति करने पर विचार किया जाएगा

<u>बंगला आबंटन के लिए प्राथमिकता</u>

1.अपर महाप्रबंधक

2. प्रमुख विभागाध्यक्ष

3. मुख्य विभागाध्यक्ष, प्रधान निदेशक, लेखा परीक्षा (पीडीए)

4. गैर-प्रकार्यात्मक उच्च प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी

5. वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी

6. गैर-प्रकार्यात्मक वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी

7.सेलेक्शन ग्रेड अधिकारी और

8.कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी

नोट: रेल दावा अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य को उनकी पात्रता के अनुसार

<u>प्रतीक्षा सूची</u>

अलग-अलग प्रकार के क्वार्टर के लिए अलग से प्रतीक्षा सूचियां बनाई जाती हैं, अर्थात फ्लैट और बंगले(टाइप-V/ टाइप-IV) को प्राथमिकता के आधार पर यथा प्रमुख विभागाध्यक्ष, मुख्य विभागाध्यक्ष, **गैर-प्रकार्यात्मक उच्च प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी**, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी, गैर-प्रकार्यात्मक वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी, सेलेक्शन ग्रेड अधिकारी और कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी,वरिष्ठ और कनिष्ठ वेतनमान अधिकारियों के पंजीकरण की तारीख के अनुसार. प्रमुख विभागाध्यक्ष, मुख्य विभागाध्यक्ष को दक्षिण लालागुडा में टाइप VI बंगलों के रूप में वर्गीकृत 19 बंगलों में से आबंटति करने पर विचार किया जाता है. फिर भी, व्यक्तिगत विकल्पों के आधार पर इन अधिकारियों को अन्य बंगले आबंटति करने पर भी विचार किया जाता है. वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारियों को अन्य बंगले और टाइप VI बंगले आबंटित करने पर तब विचार किया जाएगा जब प्रमुख विभागाध्यक्ष, मुख्य विभागाध्यक्ष, गैर प्रकार्यात्मक उच्च प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी से कोई मांग प्राप्त न हुई हो. इसी प्रकार, किसी बंगले को आबंटित करने के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारियों से मांग प्राप्त न होने पर, वरिष्ठ ग्रेड और कनिष्ठ ग्रेड अधिकारियों को बंगला आबंटित करने पर विचार किया जाएगा. मांग के समय पात्र क्वार्टर उपलब्ध न होने के कारण किसी अधिकारी को निचले प्रकार के क्वार्टर का आबंटन किया गया हो तो उस अधिकारी की मूल प्राथमिकता उनकी पात्रता वाले क्वार्टर आबंटन हेतु बनी रहेगी.

अधिकारियों को रेलवे क्वार्टर आबंटित करने की प्रक्रिया

प्रारंभिक आबंटन

किसी अधिकारी को किसी विशेष क्षेत्र में क्वार्टर आबंटन कराने हेतु अनुरोध करने की अनुमति है, लेकिन उस क्षेत्र/कॉलोनी में किसी विशेष क्वार्टर आबंटित कराने के लिए नहीं. फिर भी वे किसी विशिष्ट मंजिल अर्थात् ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर या क्वार्टर टाइप (स्वतंत्र/फ्लैट आदि) आदि के लिए अपना विकल्प दे सकते हैं.

आवेदन जमा करने के बाद, यदि कोई अधिकारी पहले दिए गए अपने विकल्प में बदलाव करना चाहता है, तो वह क्वार्टर आबंटन से पहले ऐसा कर सकता है. परंतु अधिकारी अपनी मूल वरीयता खो देगा और संशोधित आवेदन देने की तारीख से उनकी वरीयता मानी जाएगी.

निचले प्रकार के क्वार्टर के लिए पंजीकरण करने के बाद, उच्च प्रकार के लिए पात्रता मिलने पर यदि अधिकारी उच्च प्रकार के आवास के लिए आवेदन देना चाहता है तो उन्हें उच्च प्रकार के क्वार्टर के पंजीकरण के लिए नए सिरे से आवेदन देना होगा. ऐसे मामलों में, निचले प्रकार के क्वार्टर के लिए किया गया पंजीकरण रद्द हो जाएगा.

प्रतीक्षा सूची के आधार पर आबंटन कड़ाई से किया जाता है और क्वार्टरों के आबंटन के तुरंत बाद, अधिकारी का नाम प्रतीक्षा सूची से हटा दिया जाता है.

जब कोई अधिकारी क्वार्टर के लिए आवेदन करता है और अधिकारी की पात्रता के अनुरूप क्वार्टर खाली उपलब्ध है लेकिन अधिकारी द्वारा अनुरोध किए गए किसी विशेष पूल/ क्षेत्र में नहीं है, तो खाली क्वार्टर में से एक क्वार्टर (जैसा कि अधिकारी द्वारा चुना गया है) उन्हें आबंटित किया जाएगा. उनके मूल

अनुरोध का पंजीकृत रहेगा और जैसे ही उनकी बारी आएगी, अनुरोध किए गए पूल/क्षेत्र में उन्हें क्वार्टर आबंटित किया जाएगा. इसे क्वार्टर परिवर्तन नहीं माना जाएगा.

आबंटन की तारीख से 7 कार्य दिवसों के भीतर अधिकारी आबंटित क्वार्टर को अपने कब्जे में लेने की विकल्प दे सकते हैं. 7 दिनों के भीतर यदि कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो आबंटन को रद्द किया जाएगा और प्रतीक्षा सूची के अगले अधिकारी को क्वार्टर का आबंटन किया जाएगा. प्रारंभिक आबंटन या परिवर्तन के मामले में यदि अधिकारी क्वार्टर का कब्जा लेने से इनकार करता है, तो उन्हें रेलवे क्वार्टर के आबंटन हेतु एक वर्ष के लिए डिबार कर दिया जाएगा.

आबंटन की तारीख से 15 दिनों के भीतर आबंटित क्वार्टर को कब्जे में लिया जाना चाहिए. यह 15 दिनों की अवधि इंजीनियरी, विद्युत और सिगनल व दूरसंचार विभागों द्वारा क्वार्टर के दरवाजे, खिड़कियां, नल, ब्राइटनिंग वायरिंग, टेलीफोन लाइन आदि जैसी मामूली या मरम्मत कार्यों को पूरा करने के लिए है. अन्य आवश्यक कार्य जो अनुमत कार्य के दायरे में नहीं आते हैं और जिन्हें आबंटित क्वार्टर में सुधार / संशोधन / परिवर्तन माना जाता हैं, यदि अनुमत हो तो अधिकारी क्वार्टर को कब्जे में लेने के बाद आरंभ किये जाएंगे और इनके लिए समय सीमा को बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी.

आबंटन के 16 वें दिन से या कब्जे में लेने की तारीख, जो भी पहले हो, से किराए की वसूली की जाएगी.

क्वार्टर को कब्जे के लेने के बाद अधिकारी अपने वर्तमान आवास से दूसरे क्षेत्र, मंजिल, टाइप आदि में बदलाव की इच्छा रखता हो तो नए आवेदन के द्वारा उसके लिए पंजीकरण करना होगा. चेंजओवर के लिए पंजीकरण की अनुमति वर्तमान क्वार्टर को कब्जे में लेने की तारीख से छह महीने के बाद दी जाएगी. चेंजओवर के अनुरोधों के लिए अलग से कोई प्रतीक्षा सूची नहीं रखी गई है. उन्हें सामान्य प्रतीक्षा सूची में आरंभिक आबंटन के अन्य अनुरोधों के साथ 'पंजीकरण की तारीख' को आधार मानते हुए पंजीकृत किया जाएगा.

एक ही क्षेत्र के भीतर केवल एक चेंजओवर की अनुमति है. उसी क्षेत्र के अंतर्गत उसी मंजिल में चेंजओवर की अनुमति नहीं है. अनुरोध किसी विशिष्ट मंजिल या क्षेत्र के लिए हो सकता है लेकिन किसी विशिष्ट क्वार्टर के लिए नहीं. कोई अधिकारी जिनके कब्जे में पहले से ही क्वार्टर हो, **चेंजओवर के आधार पर दूसरे क्वार्टर के आबंटन होने पर उन्हें आबंटित क्वार्टर को कब्जे में लेने के लिए 15 दिन का समय और वर्तमान आवास को खाली करने के लिए 21 दिन का समय दिया जाएगा. 15 दिनों के बाद**, मूल क्वार्टर में रहने को ‘अन-अधिकृत’ माना जाएगा और लागू दरों पर नुकसानी किराया तब तक वसूल किया जाएगा जब तक कि वह उसे खाली नहीं कर देता.

<u>रेलवे क्वार्टर खाली करने की पद्धति</u>

कोई अधिकारी अगर अपने स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति आदि पर अपने कब्जे के रेलवे क्वार्टर को खाली करना चाहता है तो उसे आवश्यक अनुमति हेतु वरिष्ठ उप महाप्रबंधक को आवेदन करना होगा. सेवानिवृत्ति या स्थानांतरण के अनुरोध के अलावा किसी अन्य कारणों से अधिकारी क्वार्टर खाली करना चाहता हो तो उसकी सिफारिश संबंधित प्रमुख विभागाध्यक्ष /मंडल रेल प्रबंधक द्वारा की जाएगी.

आवास का प्रतिधारण

स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति आदि के बाद क्वार्टर रखने के इच्छुक अधिकारी इसके लिए आवेदन करेंगे और सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन अग्रिम रूप से प्राप्त करेंगे. सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना क्वार्टर का प्रतिधारण को अनधिकृत कब्जा माना जाएगा और इसके लिए बेदखली की कार्यवाही शुरू करने के अलावा नुकसानी किराए की वसूली की जाएगी.

अधिकारियों का स्थानांतरण - क्वार्टरों का नियमितीकरण

सिकंदराबाद के बाहर स्थानांतरित अधिकारी द्वारा अपने कब्जे में रखे गए क्वार्टर को उसके सिकंदराबाद क्षेत्र में पुनः कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से नियमित किया जाएगा, बशर्ते कि अधिकारी द्वारा क्वार्टर को बनाए रखने की अनुमत अवधि के भीतर कार्यभार ग्रहण किया गया हो.

स्थानांतरण के मामले में पंजीकरण की वैधता

किसी अधिकारी का सिकंदराबाद से स्थानांतरण होने पर उनका नाम प्रतीक्षा सूची से हटा दिया जाएगा. अधिकारी को केवल अपने कब्जे के आवास को बनाए रखने की अनुमति दी जाएगी. क्वार्टर प्रतिधारण की अवधि के दौरान चेंजओवर के अनुरोध की अनुमति नहीं होगी. यदि अधिकारी सिकंदराबाद में पुनः कार्यभार ग्रहण करता है और उसी/उच्च प्रकार का क्वार्टर लेना चाहता है, तो उसे इसके लिए नए सिरे से पंजीकरण करना होगा.

रेलवे क्वार्टरों में रहने वालों की जिम्मेदारी

रेलवे आवास का आबंटन केवल आबंटित अधिकारी के वास्तविक उपयोग के लिए है. इसका उपयोग निवास के अतिरिक्त किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए. इस संबंधी किसी भी प्रकार के उल्लंघन के लिए आबंटन को रद्द किए जाने के अलावा रेलवे बोर्ड के दिनांक 29.04.2002 के पत्र सं. ई (जी) 2002 / क्यूआर 1-3 (आरबीई सं. 54/2002) के अंतर्गत जारी रेल सेवक(अनुशासन व अपील) नियम, 1968 के अंतर्गत कार्रवाई भी की जा सकती है.

****